नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट
पो०– नेतरहाट, जिला – लातेहार
(An Autonomous Institute under Societies Reg. Act 1860, Ministry of HRD, Govt. of Jharkhand)

संख्या –1654 दिनांक –11.09.2017

निविदा नियम (Tender Rule)

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के लगभग 500 विद्यार्थियों के उपभोग हेतु गाय का दूध/डेयरी मिल्क (सुधा कं०/मेधा कं०) के क्रय एवं आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदायें प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के नाम आमंत्रित की जाती है।

1.मुहरबंद निविदाएं हाथों हाथ, पंजीकृत डाक अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 19.09.2017 को 02:30 बजे अपराह्न तक प्राचार्य कार्यालय में स्वीकार की जाएगी। निविदाएँ मुख्यतः दो भागों में विभक्त होगी (i) टेक्नीकल बीड एवं (ii) फिनांसियल बीड । प्रत्येक के लिए अलग–अलग लिफाफा होगा तथा दोनों लिफाफे अंततः एक बड़े लिफाफे जिसके मुख्य पृष्ठ पर निविदा संख्या, विषय एवं तिथि वर्णित हो में सील कर ही जमा करने होंगे।

(क) **टेक्नीकल बीड**– इसमें सभी दस्तावेजों जिसका वर्णन निविदा शर्त के कंडिका (1) में किया गया है की स्व–अभिप्रमाणित प्रति + निविदा शुल्क + अग्रधन की राशि।

(ख) **फिनांसियल बीड**– इसमें केवल बिल ऑफ क्वांटिटी का लिफाफ जिसमें निविदित दर उल्लेखित हो को ही भरें। फिनांसिलय बीड विद्यालय के भंडार शाखा से ही प्राप्त किया जा सकता है।

2. अग्रधन एवं निविदा शुल्क :–

निविदा शुल्क– सार्थ द्वारा निविदा शुल्क के रूप में रूपया 500/– का राष्ट्रीयकृत बैंक का डिमांड ड्रॉफ्ट, प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम देय तथा लोहरदगा शाखा पर भुगतेय अथवा नकद राशि जमा करनी होगी जो किसी भी स्थिति में लौटाया नहीं जाएगा।

अग्रधन– अग्रधन शुल्क रू० 5000.00 जो केवल NSE/Bond/Bank Guarantee के रूप में हो एवं नेतरहाट विद्यालय समिति, नेतरहाट के नाम देय तथा Payable at नेतरहाट के नाम से निर्गत होने चाहिए।

3. निविदा प्रसारित करने की तिथि 10.09.2017 है, जिसके नियम शर्ते विद्यालय वेबसाईट www. netarhatvidyalaya.com पर भी उपलब्ध है । निविदा हाथो हाथ अथवा निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 19.09.2017 के अपराह्न 02.30 बजे तक ही स्वीकार की जाएगी। प्राप्त निविदाओं को उनके अधिकृत प्रतिनिधि के सम्मुख दिनांक 19.09.2017 को अपराहन् 04:30 बजे खोली जाएगी । निविदाओं (टेक्नीकल बीड) के टेक्नीकल बीड में सफल पाये गए संवेदकों के ही फिनांसियल बीड निर्धारित तिथि को खोले जाएगें ।

4. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त निविदाओं पर किसी भी परिस्थिति में विचार नही किया जाएगा।

5. यह निविदा सितंबर 2017 से अगस्त 2018 तक वैध रहेंगी।

6.निविदा संबंधित जानकारी निम्न पदाधिकारियों से प्राप्त की जा सकती है :–

प्राचार्य– श्री विंध्याचल पाण्डेय
फोन नं. – 06569–277644
कोषपाल–श्री रौषन कुमार बक्षी
फोन नं. – 9771521409

(विंध्याचल पाण्डेय)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।

निविदा शर्त

1.टेक्नीकल बिड में निम्न दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें :–

(A) सार्थ/कंपनी/आपूर्तिकर्त्ता/संवेदक का पूरा नाम एवं पता जो अपने फर्म के Letter head में अंकित होने चाहिए।

(B) JVAT Reg. Certificate. 2005 की स्वअभिप्रमाणित प्रति।

(C) GST में निबंधन प्रमाण पत्र।

(D) आयकर स्वच्छता प्रमाण पत्र। स्वच्छता प्रमाण पत्र नहीं रहने पर अद्यतन प्रमाण पत्र यथा 2016–17 के रिटर्न की प्रति संलग्न करें।

(E) **स्वास्थय विभाग द्वारा निर्गत Food Safety License की भी छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।**

(F) अग्रधन की राशि (निविदा नियम की कंडिका–02 के अनुरूप)।

(G) पैन कार्ड की छाया प्रति।

(H) अनुभव प्रमाण पत्र (अगर हो तो)

(I) क्रयादेश की छाया प्रति (अगर हो तो)

2 निविदा के लिफाफे पर सार्थ का नाम एवं पूरा पता, निविदा संख्या एवं दिनांक तथा जिस सामग्री हेतु निविदा दी गई हो अंकित करना आवश्यक होगा।

3. सार्थ द्वारा आपूर्ति किए गए गाय का दूध/डेयरी मिल्क (सुधा कं०/मेधा कं०) में किसी प्रकार की गड़बड़ी पायी जायेगी तो उसका ठेका तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जायेगा। ठेका रद्द करने के उपरान्त निविदा में सफल दूसरे सार्थ को ठेका देने पर विचार किया जायेगा।

4. निविदा में प्रत्येक सामग्रियों का दर अंकों एवं शब्दों में देना आवश्यक है।

5. विलम्ब से प्राप्त निविदा पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

6. निविदा जमा करने के उपरान्त आंशिक या पूर्णरूप से निविदा वापस लेने पर अग्रधन की राशि जब्त कर ली जाएगी।

7. GST पर RCM System होने पर TDS की कटौती सार्थ के बील से की जायेगी।

8. Income tax 1961 की धारा 194c के अनुसार सार्थ के बीड से TDS की भी कटौती की जाएगी।

9. फिनांसियल बीड भरते समय सार्थ प्रति लीटर मूल्य के साथ अपने वाहन लागत तथा सभी प्रकार के करों को समाहित करते हुए ही निविदा मूल्य भरें। भरे हुए निविदित मूल्य पर अलग से किसी भी प्रकार का कर अथवा अतिरिक्त मूल्य स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

10. नियम में किसी भी प्रकार के संशोधन हेतु सक्षम प्राधिकार प्राचार्य, नेतरहाट विद्यालय होंगे। प्राचार्य द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

(विंध्याचल पाण्डेय)
प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।